

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस


क्रमांक :- दुरुस्ती / 2024 /

दिनांक :-

:-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं सहखातेदारों के शपथ पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार भादरा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा गढडा के खाता संख्या 194 / 191, 27 / 75 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. स.	ग्राम / चक / पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	गढडा	194 / 191 27 / 75	पिंकी पुत्री सुभाष	प्रियका पुत्री सुभाष

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :-

क्रमांक:- सम / 2024 /

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रियंका पुत्री सुभाष को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ

